

Date of  
Order or  
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Please  
neces

23/8/17

स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में उमयपक्षों द्वारा प्रकरण रखे जाने के  
अनुशेष से प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप०।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

आहत राजकुमार पुत्र पर्वतसिंह स्वयं उप०।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320  
द०प्र०स० डोंकेट पर राजीनामा हेतु अनुमति बाबत मय राजीनामा हेतु अनुमति  
आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320-2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त एवं  
पहचान संबंधी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, सहित प्रस्तुत किया गया।  
अभियुक्त की पहचान उसके अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव द्वारा की गई।

उमयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी मय, दवाब,  
लौम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना  
प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया  
गया।

अभियुक्त पर मा०द०वि० की धारा 294, 341, 323, 506 बी, 34 के  
अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमें से धारा 294, 506 बी न्यायालय  
की अनुमति से शमनीय है जबकि शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों  
के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक  
प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमति आवेदन स्वीकार  
किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तत्पक्ष मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता  
है। अभियुक्त को धारा 294, 341, 323, 506 बी, 34 मा०द०वि० के अपराध  
आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है  
जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व  
बधपत्र नारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्त शुदा संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्ज कर प्रकरण अमिलेखागार  
में प्रेषित हो।

प्रीतिश्रीन अधिकारी

स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत गोहद

राजकुमार सिंह

अशोक

मान सिंह

प्रीतिश्रीन

रश्मिदा

प्रीतिश्रीन